तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक प्रार्थी । श्री खडगसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–9–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–6 ने एक वाद स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधज्ञा एवं बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर धौलपुर के समक्ष निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया। जिसे सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 27–2–03 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री की प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। दौराने अपील प्रार्थी ने आदेश 18 नियम 17 सीपीसी प्रस्ततुत किया जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने संक्षिप्त आदेश दिनांक 7–9–05 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 जाब्ता दीवानी बिना कोई ठोस कारण व आधार के संक्षिप्त आदेश द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत खारिज किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 7–9–05 निरस्त किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपील का निस्तारण करने में विलम्ब कर रहा है तथा बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के साथ सलंग्न पत्रावली, दस्तावेज व आलोच्य आदेश का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 17 सी.पी.सी. निरस्त किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का कथन था कि जिस समय अधिनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य हुई थी उस समय उक्त मूल प्रमाण पत्र अभिलेख पर मौजूद नहीं था जिस कारण प्रतिवादी के साक्षीगण से उक्त बाबत कोई प्रश्न पूंछे नहीं जा सके तथा न ही कोई साक्ष्य इस बाबत पेश की जा सकी। अतः प्रतिवादी के साक्षीगण को प्रतिप्रेक्षण हेतु पुनः तलब किया जावे। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत वाद के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य लेने के उपरांत सुमित्रा का देहांत सम्वत 2022 के उपरांत मानते हुए वादीगण को सुमित्रा का वारिस मानते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया। इसके उपरांत अपीलीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 41 नियम 27 के तहत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के कार्यालय से दिनांक 06.07.2004 को जारी आदेशों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी सुमित्रा का मृत्यु प्रमाणपत्र रिकोर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	की। परन्तु इस बाबत् रिबटल साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रार्थी/वादीगण को प्रदान नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों एवं ग्राम पंचायत सचिव की संक्षिप्त जांच के आधार पर सुमित्रा की मृत्यु के 52 वर्ष बाद किया है। प्रकरण में सुमित्रा का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु न तो उसके सीधे वारिसान द्वारा आवेदन किया गया है और न ही उनसे विशिष्ट रूप से जांच के दौरान पूछताछ की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र रामलाल बनाम राजाराम (पडौसी) गोकुल सिंह पुत्र भवानीलाल (पडौसी) एवं महेशचंद पुत्र श्री मिहीलाल जो कि अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 मिहीलाल का पुत्र है के द्वारा पेश शपथपत्रों के आधार पर जारी किया गया है। इस प्रकरण में महेशचंद स्वयं प्रकरण में एक हितबद्ध व्यक्ति है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2005 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह आदेश पूर्णतया नोनस्पीकिंग है तथा प्राथी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज करने का समुचित कारण इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है तथा केवल यह अंकन किया गया है कि ''प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्ष की बहस सुनी गयी एवं प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर खारिज किया जाता है तथा बहस हेतु आगामी तारीख पेशी निर्धारित की गयी है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए सुमित्रा की मृत्यु बाबत प्रस्तुत दस्तावेज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये जो प्रश्नगत आदेश पारित किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 के तहत उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लेने से पूर्व गवाहों की मौखिक साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है अतः निगरानीकार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए यह आदेश किये जाते हैं कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज के बाबत गवाहों को पुनः तलब करते हुए मौखिक साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जावे ताकि निगरानीकार/वादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व अधिकारों का प्रतिरक्षण करने का समुचित अवसर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	मिले एवं प्रकरण में प्रस्तुत अपील का विधिसम्मत निस्तारण अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा सके। उक्त कार्यवाही से अप्रार्थी/ प्रतिवादीगण के हितों पर भी किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। यदि प्रकरण के परीक्षण के दौरान अपीलीय न्यायालय आवश्यक समझता है तो उसके द्वारा सचिव ग्राम पंचायत/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी दस्तावेज एवं पत्रावली को भी तलब किया जा सकता है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भतरपुर का आदेश दिनांक 7–9–05 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के. जायसवाल)** **सदस्य**	

निगरानी / टी.ए./ 4564 / 2005 / धौलपुर
रामसुजान बनाम मिहीलाल वगैरह